राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, स्वास्थ्य भवन, जयपुर

क्रमांक : 285 दिनांक : 10-9-2011

स्वीकृति आदेश

माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान की बजट घोषणा (वर्ष 2011–12) के अनुरूप "मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना" के अंतर्गत राज्य के विभिन्न राजकीय चिकित्सा संस्थानों में रोगियों को औषधियों के वितरण हेतु औषधि वितरण केन्द्रों की स्थापना किये जाने की प्रक्रिया अनवरत जारी है। इसी निरंतरता में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHCs) पर उपलब्ध स्थान/कक्ष में ही आवश्यकतानुसार सुसज्जित औषधि वितरण केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु छुटपुट निर्माण कार्य, संधारण एवं उन्नयन के साथ–साथ आधारभूत सामग्री/उपकरण उपलब्ध कराए जाने हेतु 376 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHCs) में से प्रत्येक में निम्नानुसार कार्य सम्पादन किया जाना है :–

क्र. सं.	सामग्री/उपकरण	प्रति CHC लागत रू0	376 CHC हेतु कुल राशि (लाख रू0 में)
1.	रेक्स (बड़ी) – 3 @ Rs. 3000	9000	33.84
2.	कुर्सी – 2 @ Rs. 750	1500	05.64
3.	स्टूल – 1 @ Rs. 300	300	1.128
4.	दवा वितरण काउन्टर व खिड़की आदि	5500	20.68
5.	विविध व्यय	5000	18.80
6.	एल्युमीनियम व ग्लास वर्क आदि	8700	32.712
	योग	**30000**	**112.80**

इस कार्यालय की पूर्व प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक : F13(12) NRHM/Plan/2011/2180, दिनांक 18.07.2011 के माध्यम से प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) हेतु Annual Maintenance Grants for CHCs के बजट मद के अंतर्गत आवंटित राशि रू. 1,00,000/– आवंटित है। इस राशि में से उक्त कार्यों हेतु प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) को रू. 30,000/– की सीमा तक उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

एन.आर.एच.एम. से उपयोग की राशि को निदेशक (जन स्वास्थ्य) के नामे खातों में अग्रिम लिखा जावेगा तथा निदेशक (जन स्वास्थ्य) से इस प्रयोजनार्थ राशि प्राप्त होने पर उसका समायोजन किया जावेगा।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जावे।

मिशन निदेशक
एन.आर.एच.एम.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनआरएचएम।
3. जिला कलेक्टर समस्त।
4. निदेशक, आरसीएच।
5. निदेशक, जन स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि 376 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHCs) हेतु आवश्यक उपर्युक्तानुसार राशि रू. 112.80 लाख जारी कराने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के समक्ष तत्काल प्रस्तुत कराने की व्यवस्था करावे तथा राशि का पुनर्भरण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समितियों को यथाशीघ्र किया जा सके।
6. वित्तीय सलाहकार, एनआरएचएम।
7. परियोजना निदेशक, एनआरएचएम।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त, जिला परिषद्।
9. समस्त सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी।
10. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/राज्य वित्त प्रबंधक/सलाहकार योजना।
11. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राजस्थान।
12. प्रभारी, सेन्ट्रल सर्वर रूम को सभी सम्बन्धित को ई–मेल करने हेतु।

मिशन निदेशक
एन.आर.एच.एम.